



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

225

संदर्भ सं०

Ref. No

H93573

सी-1/NGT-158/2023

दिनांक

Date - 15/05/2023

To,
The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-mail : judicial-ngt@gov.in

Sub.: Report in compliance to direction issued by Hon'ble NGT on dated 15.11.2022 in matter of OA No. 392/2022, Prasoon Pant & Anr. Vs. Union of India & Ors.

Sir,

That in compliance of the orders dated 15.11.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No. 392/2022, Prasoon Pant & Anr. Vs. Union of India & Ors., the report of the status of compliance as on 30-04-2023 is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal for perusal.

Encl:- As above.

Yours Sincerely

(Vivek Roy)

Chief Environmental Officer,
Circle-1

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Regional Officer, UPPCB, Greater Noida.

Chief Environmental Officer,
Circle-1

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Compliance Report

In

Original Application No. 392/2022

Prasoon Pant & Anr.

Versus

Union of India & Ors.

Order Date – 15.11.2022

Report in compliance to direction issued by Hon'ble NGT on dated 15.11.2022 in matter of OA No. 392/2022, Prasoon Pant & Anr. Vs. Union of India & Ors.

1. Brief background

Hon'ble NGT on dated 15.11.2022 in matter of OA No. 392/2022, Prasoon Pant & Anr. Vs. Union of India & Ors. has passed following order: -

“.....11. Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating bore wells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects. Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.

12. The joint Committee may also consider the data and view point of the PPs, if any, filed. We also direct that while granting consents, requirement of installing digital water metres connected to central servers may be laid down. Concerned establishment may be required to furnish an 'Appraisal report' with regard to the quantity of ground water available for extraction in the area and replenishment measures proposed by the concerned establishment such as rain water harvesting, sewage treatment, use of treated sewage. Such Appraisal report may be duly verified by the State PCB by an appropriate mechanism.

Such project proponents may also undertake measures to compensate environment, particularly augmenting water quantity and improve water quality by afforestation, education and other measures which may be mentioned in the consent conditions and NOCs for extraction of ground water. Further, in respect of establishments having water supply from the local bodies and also extracting ground water, there should be separate digital metres in respect of both sources.

13. We also direct the concerned statutory regulators to look into and regulate use of potable water for non-contact purposes for which non potable water can be used to augment availability of potable water for drinking. If consents/NOCs are not applied for within one month, the establishments may be closed by the State PCB. If filed, such applications may be examined within next one month.

14. The States other than Uttar Pradesh may also take necessary action on the subject by issuing necessary SOP through their Water Resources Departments and State PCBs within one month from today. The activities which need to replace use of potable water may be listed and mentioned in consents.

15. Report of status of compliance as on 30.04.2023 may be filed by the UP State PCB, after compiling the relevant data from the concerned District Magistrates by 15.05.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

16. Other directions in the order dated 17.10.2022 in O.A. No.438/2018 to the extent applicable to present context may also be filed. The joint Committee may continue the work of inspection of the remaining projects and adopt the same course of action as in the present matter and cover the actions taken in the next report.

Any person aggrieved by this order will be free to move this Tribunal, if not satisfied with the approach of the Committee in the matter.”

2. Action taken Report:-

I. Summary:-

1. All 63 projects to whom letter dated 07.09.2022 was issued for procuring information pertaining to source of water, quantity of water requirement and NOC from CGWB/SGWB, have been inspected by the Joint Committee.
2. Out of 63 projects, in 41 projects illegal bore wells have been indentified during inspections, in which Committee formed under Chairmanship of ADM(E), Gautam buddh Nagar vide letter dated 30-11-2022 (a copy of which is annexed as Annexure -1) in continuation to the previously formed committee vide letter dated 18.07.2022, has sealed bore wells in 12 projects and 10 projects have dismantled their bore wells, 03 projects have obtained NOC for ground water abstraction and rest 16 projects have submitted their representation to District Magistrate, Gautam buddh Nagar, regarding insufficient water supply/no water supply by Authority (a copy of which is annexed as Annexure-2).
3. As per the decision taken in the Joint Committee meeting dated 16.01.2023 regarding representation of PPs, further action has to be taken by GNIDA to provide water in required quantity or UPGWD to comply with U. P. ground water act, 2019, minutes of meeting is annexed as Annexure-3.
4. In compliance of Hon'ble NGT order dated 15.11.2022, regarding deposition of Floor level compensation (0.5% of project cost as directed by Hon'ble NGT) for illegal extraction of ground water, notices have been issued by Regional office, UPPCB, Greater Noida, to concerning 41 projects for the same. Further, again directions have been issued to 38 projects for deposition of Interim/ Floor Level Compensation by UPPCB based upon the project cost available with UPPCB. No data of 03 projects

pertaining to the cost of the projects is available with UPPCB. However, UPPCB has requested GNIDA to provide data regarding the cost of the projects and also has addressed it to Nodal officer UPGWD Gautam buddh Nagar vide its letter dated 18.04.2023 in continuation to the communication received from CGWB via email dated 18.04.2023, the copies of which are annexed as **Annexure- 4 & 5**.

5. Further, UPPCB has initiated action under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 against 29 projects show cause has been issued by the State Board. Apart from this, Show Cause Notices for imposition of Environmental Compensation as per CPCB guidelines to the tune of approximate Rs 2.21 Crores have also been issued.
6. In compliance of Hon'ble NGT order dated 15.11.2022, UPPCB vide its letter dated 03.04.2023 has requested to U.P. Ground Water Department to take legal action against defaulter projects under Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 also. A copy of the same is annexed as **Annexure- 6**.
7. Summary of the Status in tabular form regarding action taken against projects with illegal water abstraction and defaulter found under the provisions of Water Act is being given in table 1 and 2 as below:-

Status of action against illegal water abstraction

Table-1

Total number of projects	No. of Projects in which Bore well found	Bore well sealed by Joint Committee	Bore well dismantled	Not sealed	Project having valid NOC for Ground water abstraction	No. of Show Cause notices issued for deposition of interim/ floor compensation
63	41	12	10	19 *	03	38**

* 03 Project having valid NOC for Ground water abstraction & 16 projects have submitted representation before Joint Committee.

** 03 Projects have not provided any information regarding project cost although Show Cause Notices have been issued against these 03 projects also.

Status of compliance of Water Act (CTE/CTO)**Table-2**

Total number of projects	No. of projects having CTE/ valid CTO	Construction work is closed since long time due to its own reasons	Show Cause Notice issued under the provisions of Water Act	Show cause Notice under process	Amount of Show Cause Notices issued for imposition of EC as per CPCB guidelines (In Crores)
63	30	02	29	2	2.21

II. In compliance to the order passed on dated 15.11.2022, rest 30 projects have also been inspected apart from the earlier 33 Projects by the Joint Committee. The status of which is annexed as **Annexure-7**.

III. Assessment of Final Compensation:-

In compliance of Hon'ble NGTs order dated 15-11-2022 regarding assessment of final compensation CGWB has nominated its representative vide letter dated 31 January, 2023 for assessment of final compensation in coordination with UPGWD, UPPCB and District Administration. CGWA has also asked for data such as period of EC comprising number of days, consumption of ground water per day, total cost of project area and name of block area, regarding which Regional Office, UPPCB, Greater Noida has written vide letter dated 18-04-2023 to U.P. Groundwater enclosing the list of 41 projects to provide the data for the assessment of final compensation. Final Compensation is proposed to be assessed and imposed by the Joint Committee as per the directions of Hon'ble NGT.

IV. Further Actions

- i) U.P. Pollution Control Board is undertaking further strict actions against the defaulters to ensure the compliance of Hon'ble NGTs order date 15-11-2022 under Water and Air Act provisions.

Imposition of Environmental Compensation as per CPCB's guidelines is also under process against the defaulters as it shall act as a deterrent for continuation of violation of Air and Water Act provisions.

- ii) Final Compensation is proposed to be assessed and imposed by the Joint Committee as per the directions of Hon'ble NGT.

कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 1073 / NUT-54 / 2022

दिनांक : 30/11/22

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 392/2022 प्रसून पंत व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 (प्रति संलग्न) के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर की टिप्पणी दिनांक 24.11.2022 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी के साथ निम्न अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाती है-

1.	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी, जो विशेष कार्याधिकारी स्तर से निम्न न हो
2.	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर
3.	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
4.	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 का अनुपालन तथा मा0 अधिकरण द्वारा वांछित आख्या के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ कि संयुक्त समिति हेतु सदस्य नामित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को अनुपालन हेतु।
4. नोडल अधिकारी, उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर को अनुपालन हेतु।
5. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर को अनुपालन हेतु।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय
पत्रांक : 462 / एन0जी0टी0-54 / 22 / ओ0ए0न-392 / 2022

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

दिनांक 18/07/2022

कार्यालय आदेश

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित OA No-392/2021Prasoon Pant & Anr Versus Union Of India & Ors में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022, का मुख्य अंश निम्नवत है:-
".....1. Grievance in this application is against illegal extraction of ground water by the builders operating in Noida, impleaded as respondent Nos. 09 to 48 - Gaursons Or Gaur Builder, ACE GROUP, Trident Embassy, Eros Sampoonam, Coco County, ATS Rhapsody, Aastha Greens, Mahagun Builders, ATS Infrastructure Ltd., Nirala Estate, Gulshan Bellina, Paramount Emotions, Capital Athena, Apex Golf Avenue, La Residentia, Arihant Arden, Stellar Jeevan, Divyansh Flora, Galaxy Group, Lucky Palm Valley, Sikka Kaamya Greens, Bulland Elevates, Supertech, Ajnara Group, Cherry County, Mangalya Ophira, Aims Green Avenue, VVIP Meridian, Vihaan Villas, Sindhuja Greens, Patel Neotown, Novel Valley, JNC The Park, Emenox La Solara, JM Florence, Amaatra Homes, Panchsheel Hynish, Samridhi Grand Avenue, Ratan Pearls and Rajhans Residency at NOIDA. According to the applicants, the statutory authorities have failed to prevent illegal extraction of ground water for commercial purposes resulting in depletion of ground water level in the area identified as 'overexploited' as per assessment of the CGWA.

In view of above, we consider it appropriate to require a joint Committee of CPCB, State PCB and District Magistrate, NOIDA to verify facts and furnish an action taken report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If any adverse material is found by the Committee, the affected parties may be put to notice of these proceedings and a copy of report be furnished to the said parties for their response, if any, before the next date"

List for further consideration on 11.10.2022

प्रकरण भूगर्भ जल निष्कर्षण से सम्बन्धित है। उपरोक्त Original Application में उल्लिखित बिल्डिंग परियोजनाओं की जाँच हेतु निम्न अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाती है:-

1.	मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामित अधिकारी जो विशेष कार्यधिकारी स्तर से निम्न न हो।	सदस्य
3.	नोडल अधिकारी उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
4.	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।	सदस्य
5.	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।	सदस्य-सचिव

उपरोक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.07.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में Original Application में उल्लिखित बिल्डिंग परियोजनाओं का संयुक्त समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी के साथ स्थलीय निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आख्या अधोहस्ताक्षरी एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियमानुसार दाखिल किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(सुहास एल0वाई0)
जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ कि संयुक्त निरीक्षण हेतु अधिकारी नामित करने का कष्ट करें।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. सदस्य सचिव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (यूत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
6. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogrenternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1276/MGT/54/22

दिनांक : 9/11/23

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (हाउसिंग),
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ओ0ए0 में परियोजनाओं द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं—

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level.....”

“.....The joint Committee may also consider the data and view point of the PPs, if any, filed.....”

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा परियोजनाओं में स्थापित बोरवेल्स/सबर्सेबल पम्प के सिलिंग के दौरान 11 परियोजनाओं द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित प्रत्यावेदन प्रेषित किये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं:—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम व पता	प्रत्यावेदन के मुख्य अंश
1.	Mahagun Mantraa-1, GH-01/B, Sector 10, Greater Noida West, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representation submitted by PP, no water supply has been provided by GNIDA and around 300 families are residing in project.
2.	Galaxy Vega, GH-08C, Tech Zone-IV, Greater Noida, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representation submitted by PP, water supply provided by GNIDA is insufficient with respect to required quantity for 900 families in project.
3.	La Residentia, GH-06A, Sector Tech Zone-4, Greater Noida, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representation submitted by RWA, no water supply has been provided by GNIDA and around 1300 families are residing in project.
4.	Divyansh Flora, Plot No.-3H, Sector 16C, Gaur City-2, Greater Noida, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representation submitted by PP, water supply provided by GNIDA is insufficient with respect to required quantity for 466 families in project.
5.	Apex Golf Avenue, GH 11, Sector-1, Greater Noida West, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representation submitted by PP, no water supply has been provided by GNIDA and around 450 families are residing in project.
6.	VVIP Meridian/Home, PLOT NO. GC-03K/GH-03, Sector-16-C, Greater Noida West, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representation submitted by PP, no water supply has been provided by GNIDA and around 900 families are residing in project.

P.T.O.

7.	Rajhans Residency, GH-6B, sector -1, Greater Noida, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint. As per representation submitted by PP, supply has been provided by GNIDA and arc. families are residing in project.
8.	Lucky Palm Valley, Khasra No. 784, Vill-Bisrakh, Sector 1, Greater Noida, West, behind Stellar Jeevan, G.B.Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Comm. As per representative, no water supply has provided by GNIDA and around 200 families residing in project.
9.	Mywoods Phase-1,2&3, GH 04, Sector 16C, Gaur City 2, Greater Noida, G.B.Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representation submitted by PP, water supply provided by GNIDA is insufficient with respect to required quantity for 4000 families in project.
10.	Gaur City-1, GH-01, Sector-4, Greater Noida West, G.B.Nagar.	As per information provided by PP, 07 operational Tubewells/Borewells are established by GNIDA and no ground water abstraction is being done by PP itself.
11.	Gaur City-2, GH-01, Sector-16C, Greater Noida West, G.B.Nagar.	As per information provided by PP, 06 operational Tubewells/Borewells are established by GNIDA and no ground water abstraction is being done by PP itself.

उक्त परियोजनाओं के प्रत्यावेदन का विषय जलापूर्ति के सम्बन्ध में है, जो प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रकरण है। अतः उक्त परियोजनाओं के प्रत्यावेदनो की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में परियोजनाओं के प्रत्यावेदनो का निस्तारण किये जाने हेतु प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्नक: यथोपरि।


भवदीय,



(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी-प्रथम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



09/01/23
क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1799 (MGT-54) 2

दिनांक : 24/3/23

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (हाउसिंग),
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में हो रहे भूजल दोहन के सम्बन्ध में OA No. 392/2022 दायर की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त ओ0ए0 में परियोजनाओं द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level....."

".....The joint Committee may also consider the data and view point of the PPs, if any, filed....."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा कुल 63 परियोजनाओं में फेज-1 के अन्तर्गत 33 परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान प्राप्त 11 प्रत्यावेदन को आपको नियमानुसार निस्तारण किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1276/एन0जी0टी0-54/22 दिनांक 09.01.2023 को अग्रसारित किये गये हैं। अग्रेतर फेज-2 के अन्तर्गत 30 परियोजनाओं में निरीक्षण एवं स्थापित बोरवेल्स/सबर्मसेबल पम्प के सिलिंग के दौरान 03 परियोजनाओं द्वारा जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित प्रत्यावेदन प्रेषित किये गये हैं एवं 02 परियोजनाओं द्वारा मौखिक अवगत कराया गया, जो निम्नानुसार हैं:-

क्रम संख्या	परियोजना का नाम व पता	प्रत्यावेदन के मुख्य अंश
1.	M/s Bulland Elevates, GH-03A, Sector-16C, Greater Noida West, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representative, no water supply has been provided by GNIDA and around 100 families are residing in project but no written representation has submitted.
2.	M/s Noval Velly (M/s AKJ real infra Pvt. Ltd), Khasara No. 288,290,299,302, village-sahberi, near sector- 16B, Greater Noida west, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representative, no water supply has been provided by GNIDA and around 100 families are residing in project but no written representation has submitted.
3.	M/s Galaxy Blue Sapphire Plaza, Plot no. C-3, Sector-4, Greater Noida west, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representation submitted by PP, no water supply has been provided by GNIDA and it is a commercial mall, which is operational.
4.	M/s Galaxy Diamond Plaza, Plot no. C-01A, Sector-4, Greater Noida west, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As per representation submitted by PP, no water supply has been provided by GNIDA and it is a commercial mall, which is operational.

P.T.O

5.	M/s ACE Divino, GH-14A, Sector-1, Greater Noida West, G.B. Nagar.	Bore well could not be sealed by the Joint Committee. As representation submitted by PP, no water supply has been provided by GNIDA and around 500 families are residing in project.
----	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

उक्त परियोजनाओं के प्रत्यावेदन का विषय जलापूर्ति के सम्बन्ध में है, जो प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रकरण है। अतः उक्त परियोजनाओं के प्रत्यावेदनो की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में परियोजनाओं के प्रत्यावेदनो का निस्तारण किये जाने हेतु प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,



(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

02

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि अधिकारी-प्रथम, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



23/3/23
क्षेत्रीय अधिकारी

02



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स : 0120-232102

संदर्भ संख्या :

1415 / NGT-54/22

दिनांक 19/11/23

सेवा में,

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. हाइड्रोलॉजिस्ट, उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
3. सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में दिनांक 16.01.2023 को प्रातः 11:00 बजे विकास भवन सभागार में बैठक सम्पन्न हुई थी।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपने विभाग से सम्बन्धित नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही की आख्या से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में प्राप्त प्रत्यावेदनो के निस्तारण सम्बन्धी सम्पन्न बैठक दिनांक 16.01.2023 की कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के प्रासंगिक अंश निम्नवत् हैं-

".....The joint Committee may also consider the data and view point of the PPs, if any, filed....."

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मेसर्स गौर ग्रुप द्वारा अपने 04 प्रोजेक्ट्स (गौर सिटी-1, गौर सिटी-2, गौर सौन्दर्यम एवं गौर सिटी मॉल) एवं अन्य परियोजना प्रस्तावको (सूची संलग्न) द्वारा भू-गर्भ जल निष्कर्षण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपना स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया है। प्राप्त स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में दिनांक 16.01.2023 को बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नवत् है:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. श्रीमती अंकिता राय, हाईड्रोजोलिस्ट, उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
3. श्री चेताराम सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. श्री रंजीत सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।
5. श्री हिमांशू गौतम, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।
6. श्री विवेक कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

सर्व प्रथम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में परियोजनाओं द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदनों के तथ्यों के विषय में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

1. कतिपय परियोजना प्रस्तावकों के प्रत्यावेदनों में अंकित कार्पोरेट इन्टिटी समिति द्वारा दी गयी आख्या में अंकित कार्पोरेट इन्टिटी से भिन्न है। संयुक्त समिति द्वारा अंकित सूचना निरीक्षण के समय उपलब्ध करायी गयी मौखिक सूचना के आधार पर होने के कारण त्रुटीपूर्ण प्रतीत होती है। परियोजनाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का समिति ने अवलोकन किया तथा सहमति व्यक्त की गयी कि परियोजना प्रस्तावकों के प्रत्यावेदनों के अनुसार आख्या के कार्पोरेट इन्टिटी में संशोधन किया जाये। जो निम्नानुसार है-

पूर्व प्रेषित आख्या के अनुसार	संशोधित आख्या के अनुसार
Gaur City-2, Gaursons Promoters Pvt. Ltd., Gaur city-2, plot no- GH-01, sector-16C, Gr. Noida	Gaur City-2, GH-01, sector-16C, Gr. Noida (M/s Gaursons Promoter Private Limited)
Gaur Saundaryam, Gaursons Realty Pvt. Ltd.,	Gaur Saundaryam, GH-05C, Techzone-IV,

Gaur Saundaryam, Plot No- GH-05C, Techzone-IV, Gr. Noida	Gr. Noida (M/s Gaursons Realty Pvt. Ltd)
Gaur City Mall, Gaursons Hi-Tech Infrastructure Pvt. Ltd., Plot No. C-1B/GH-01, sector-4, Gr. Noida	Gaur City Mall, C-1B/GH-01, sector-4, Gr. Noida (M/s Gaursons Hi-Tech Infrastructure Pvt. Ltd).
Gaur City-1, Gaursons Hi-Tech Infrastructure Pvt. Ltd., GH-01, Gaur City-1, Sector-4, Gr. Noida	Gaur City-1, GH-01, Sector-4, Gr. Noida (M/s Gaursons Hi-Tech Infrastructure Pvt. Ltd)

(कार्यवाही-उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/लघु सिंचाई विभाग)

2. मा0 एन0जी0टी0 में प्रेषित आख्या दिनांक 07.10.2022 के तालिका-1 में क्रम संख्या-1 पर उल्लेखित परियोजना गौर सिटी मॉल के स्थान पर वीवीआईपी होम्स/मेरेडियन का नाम, पता एवं बोरवेल/सबमर्सिबल पम्प संशोधित किये जाने हेतु संयुक्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

पूर्व प्रेषित आख्या के अनुसार	संशोधित आख्या के अनुसार
Gaur City Mall (Promoters-M/s Gaursons Promoters (P) Ltd), Gaur City-1, Sector-4, Greater Noida West, G.B. Nagar	M/s VVIP Home /Meridian (Promoter-Solitaire Infra home Pvt Ltd), GC-03K/ GH-03, Sector-16C, Greater Noida, Gautam Budh Nagar

(कार्यवाही-उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/लघु सिंचाई विभाग)

3. परियोजना प्रस्तावक के प्रत्यावेदन में सीवेज शोधन एवं शोधन के उपरान्त नॉन कान्टेक्ट पर्पजेज (फलशिंग, गार्डनिंग आदि) के उपयोग हेतु दिये गये तथ्यों की जाँच समिति द्वारा किये जाने हेतु महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/लघु सिंचाई विभाग)

4. संयुक्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति हेतु निर्गत बीजक/भुगतान की प्रति को प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति किये जाने के साक्ष्य के रूप में माना जाये।

(कार्यवाही-उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग/ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/लघु सिंचाई विभाग)

5. संयुक्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स गौर ग्रुप के 04 परियोजनाओं) द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022 में उल्लिखित केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड/उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग में भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु प्रेषित अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन की जाँच/निष्कर्ष उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग द्वारा कर लिया जाये एवं विस्तृत आख्या प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही-उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग)

प्राप्त प्रत्यावेदनो का विवरण निम्नवत् है:-

1. मेसर्स गौर सिटी-1, जी0एच0-01, सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022 एवं 04.01.2023 के तथ्यों एवं आंकड़ों के दृष्टिगत पूर्व निरीक्षण के दौरान परियोजना परिसर में पाये गये कुल 18 बोरवेल के प्रयोजन की गहन जाँच

परियोजना के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रोहित शर्मा, सी0ई0ओ0, गौर ग्रुप की उपस्थिति में समिति द्वारा दिनांक 04.01.2023 को किया गया। परियोजना प्रतिनिधि के अनुसार परियोजना परिसर के गौर सिटी-1 में 07 ट्यूबवेल ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किये जा रहे हैं। उक्त ट्यूबवेल से गौर सिटी-1 का कोई सम्बन्ध नहीं है। संयुक्त समिति के नवीनतम निरीक्षण दिनांक 04.01.2023 के दौरान परियोजना मेसर्स गौर सिटी-1 के कुल 18 बोरवेल में से कुल 11 बोरवेल में पम्प एवं विद्युत आपूर्ति की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इस सम्बन्ध में परियोजना के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रोहित शर्मा, सी0ई0ओ0, गौर ग्रुप द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के स्थल की प्रारम्भिक जाँच/जीयोटेक्नीकल इनवेस्टीगेशन हेतु कुछ बोरवेल बनाये गये थे। प्राधिकरण द्वारा जलदोहन हेतु विकसित किये गये ट्यूबवेल/बोरवेल के अतिरिक्त अन्य बोरवेल में परियोजना द्वारा किसी भी बोरवेल में स्टेनर (जाली) व पम्प स्थापित नहीं किया गया है और न ही अवैध जल दोहन किया गया है। परियोजना द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022, 04.01.2023 एवं 11.01.2023 सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

II. मेसर्स गौर सिटी-2, जी0एच0-01, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022 एवं 04.01.2023 के तथ्यों एवं आंकड़ों के दृष्टिगत पूर्व निरीक्षण के दौरान परियोजना परिसर में पाये गये कुल 25 बोरवेल के प्रयोजन की गहन जाँच परियोजना के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रोहित शर्मा, सी0ई0ओ0, गौर ग्रुप की उपस्थिति में समिति द्वारा दिनांक 04.01.2023 को किया गया। परियोजना प्रतिनिधि के अनुसार परियोजना परिसर के गौर सिटी-2 में 06 ट्यूबवेल ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किये जा रहे हैं। उक्त ट्यूबवेल से गौर सिटी-2 का कोई सम्बन्ध नहीं है। संयुक्त समिति के नवीनतम निरीक्षण दिनांक 04.01.2023 के दौरान परियोजना मेसर्स गौर सिटी-2 के कुल 25 बोरवेल में से कुल 19 बोरवेल में पम्प एवं विद्युत आपूर्ति की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इस सम्बन्ध में परियोजना के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रोहित शर्मा, सी0ई0ओ0, गौर ग्रुप द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के स्थल की प्रारम्भिक जाँच/जीयोटेक्नीकल इनवेस्टीगेशन हेतु कुछ बोरवेल बनाये गये थे। प्राधिकरण द्वारा जलदोहन हेतु विकसित किये गये ट्यूबवेल/बोरवेल के अतिरिक्त अन्य बोरवेल में परियोजना द्वारा किसी भी बोरवेल में स्टेनर (जाली) व पम्प स्थापित नहीं किया गया है और न ही अवैध जल दोहन किया गया है। परियोजना द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022, 04.01.2023 एवं 11.01.2023 सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

III. मेसर्स गौर सौन्दर्यम, जी0एच0-05सी, टेकजोन-4, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022 एवं 31.12.2022 के तथ्यों एवं आंकड़ों के दृष्टिगत पूर्व निरीक्षण के दौरान परियोजना परिसर में पाये गये कुल 09 बोरवेल्स के प्रयोजन की गहन जाँच परियोजना के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रोहित शर्मा, सी0ई0ओ0, गौर ग्रुप की उपस्थिति में समिति द्वारा दिनांक 31.12.2022 को किया गया। निरीक्षण के दौरान परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना में स्थापित 01 बोरवेल/सबमर्सिबल से भू-गर्भ जल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। संयुक्त समिति के नवीनतम निरीक्षण दिनांक 31.12.2022 के दौरान परियोजना मेसर्स गौर सौन्दर्यम के कुल 09 बोरवेल्स में से 08 बोरवेल्स में पम्प एवं विद्युत आपूर्ति की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इस सम्बन्ध में परियोजना के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रोहित शर्मा, सी0ई0ओ0, गौर ग्रुप द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के स्थल की प्रारम्भिक जाँच/जीयोटेक्नीकल इनवेस्टीगेशन हेतु कुछ बोरवेल्स बनाये गये थे। परियोजना द्वारा मात्र 01 बोरवेल/सबमर्सिबल का प्रयोग नियमानुसार उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर किया जा रहा है एवं उक्त के अतिरिक्त किसी भी बोरवेल्स में स्टेनर (जाली) व पम्प स्थापित नहीं किया गया है और न ही अवैध जल दोहन किया गया है। परियोजना द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022, 31.12.2022 एवं 11.01.2023 सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

IV. मेसर्स गौर सिटी मॉल, सी-1बी/जी0एच0-1, सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022 एवं 31.12.2022 के तथ्यों एवं आंकड़ों के दृष्टिगत पूर्व निरीक्षण के दौरान परियोजना परिसर में पाये गये 01 बोरवेल के प्रयोजन की गहन जाँच परियोजना के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रोहित शर्मा, सी0ई0ओ0, गौर ग्रुप की उपस्थिति में समिति द्वारा दिनांक 31.12.2022 को किया गया। संयुक्त समिति के नवीनतम निरीक्षण दिनांक 31.12.2022 के दौरान परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना में स्थापित 01 बोरवेल/सबमर्सिबल से भू-गर्भ जल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग द्वारा प्रदत्त एन0ओ0सी0/अनुमति की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। परियोजना द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022 एवं 31.12.2022 सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

V. मेसर्स गैलेक्सी वेगा, जी0एच0-08सी, टेकजोन-4, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 24.12.2022 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना में कुल जल खपत के सापेक्ष वर्तमान में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिस कारण परियोजना के अन्तःवासियों के पेयजल की आवश्यकतापूर्ति



हेतु भू-गर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही परियोजना में बोरवेल/सबमर्सिबल आवश्यक नहीं होगा। परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 24.12.2022 के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

VI. मेसर्स दिव्यांश फ्लोरा, प्लॉट नं०-3एच/जी0एच0-01, सेक्टर-16सी, गौर सिटी-2, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 27.12.2022 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना में कुल जल खपत 2.5 लाख ली०/दिन के सापेक्ष वर्तमान में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 75,000 ली०/दिन पानी की सप्लाई की जा रही है, जिस कारण परियोजना के अन्तःवासियों के पेयजल की आवश्यकतापूर्ति हेतु भू-गर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही परियोजना में बोरवेल/सबमर्सिबल आवश्यक नहीं होगा। परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 27.12.2022 के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

VII. मेसर्स महागुन माईवुड, जी0एच0-04, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 27.12.2022 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना में कुल जल खपत 22 लाख ली०/दिन के सापेक्ष वर्तमान में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 2 लाख ली०/दिन पानी की सप्लाई की जा रही है, जिस कारण परियोजना के अन्तःवासियों के पेयजल की आवश्यकतापूर्ति हेतु भू-गर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही परियोजना में बोरवेल/सबमर्सिबल आवश्यक नहीं होगा। परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 27.12.2022 के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

VIII. मेसर्स महागुन मंत्रा-1, जी0एच0-01/बी, सेक्टर-10, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 15.12.2022 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिस कारण परियोजना के अन्तःवासियों के पेयजल की आवश्यकतापूर्ति हेतु भू-गर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही परियोजना में बोरवेल/सबमर्सिबल आवश्यक नहीं होगा। परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 15.12.2022 के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

IX. मेसर्स लॉ रेसीडेन्सिया, जी0एच0-06ए, टेकजोन-4, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 24.12.2022 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिस कारण परियोजना के अन्तःवासियों के पेयजल की आवश्यकतापूर्ति हेतु भू-गर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही परियोजना में बोरवेल/सबमर्सिबल आवश्यक नहीं होगा। परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 24.12.2022 के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

X. मेसर्स अपेक्स गोल्फ एवेन्यू, जी0एच0-03, स्पोट्स सिटी-1, एडज्वाइनिंग टेकजोन-4, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 28.12.2022 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिस कारण परियोजना के अन्तःवासियों के पेयजल की आवश्यकतापूर्ति हेतु भू-गर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही परियोजना में बोरवेल/सबमर्सिबल आवश्यक नहीं होगा। परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 28.12.2022 के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

XI. मेसर्स वीवीआईपी होम्स/मेरेडियन, जी0सी0-03के/जी0एच0-03, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 28.12.2022 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिस कारण परियोजना के अन्तःवासियों के पेयजल की आवश्यकतापूर्ति हेतु भू-गर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही परियोजना में बोरवेल/सबमर्सिबल आवश्यक नहीं होगा। परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 28.12.2022 के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

XII. मेसर्स राजहंस रेसीडेन्सी, जी0एच0-06बी, सेक्टर-1, ग्रेटर नोएडा।

उक्त परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 30.12.2022 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिस कारण परियोजना के अन्तःवासियों के पेयजल की आवश्यकतापूर्ति हेतु भू-गर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही परियोजना में

बोरवेल/सबमर्सिबल आवश्यक नहीं होगा। परियोजना द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 30.12.2022 के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

6. परियोजनाओं द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदनो में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जल आपूर्ति न कराने अथवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न कराने के कारण भू-गर्भ जल निष्कर्षण किया जाना अवगत कराया गया है। संयुक्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि परियोजनाओं में स्थापित बोरवेल/सबमर्सिबल पम्प के सीलिंग के दौरान प्राप्त प्रत्यावेदनो का विषय परियोजना के अन्तःवासियो के पेयजल की आवश्यकतापूर्ति के सम्बन्ध में है, जो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रकरण है। संयुक्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि प्रश्नगत परियोजनाओं से प्राप्त समस्त प्रत्यावेदनों को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा समयान्तर्गत नियमानुसार निस्तारण कर लिया जाये।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

7. परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौर ग्रुप द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 31.12.2022 में उल्लिखित परियोजना गौर सिटी-1 एवं गौर सिटी-2 के स्थल पर संचालित ट्यूबवेल्स के संचालन एवं स्वामित्व का सत्यापन के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। संयुक्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि गौर ग्रुप के प्रत्यावेदनों को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा समयान्तर्गत नियमानुसार निस्तारण कर लिया जाये। अग्रेतर संयुक्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित समस्त ट्यूबवेल्स की भू-गर्भ जल निष्कर्षण हेतु एन0ओ0सी0 आवेदन/निर्गमन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग)

8. परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौर ग्रुप द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022 के क्रम में संयुक्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि गौर ग्रुप के 04 प्रोजेक्ट्स (गौर सिटी-1, गौर सिटी-2, गौर सौन्दर्यम एवं गौर सिटी मॉल) द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2022 में परियोजना के निर्माण के दौरान किये गये जलापूर्ति हेतु वेन्डर मेसर्स क्रासिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित अभिलेखों/गेट पास/चालान की जाँच कर ली जाये कि उक्त फर्म द्वारा दिये गये गेट पास/चालान के अनुसार एस0टी0पी0 में शोधित जल की उपलब्धता फर्म के पास थी अथवा नहीं एवं तदानुसार नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर लिया जाये।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

9. परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौर ग्रुप द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण/प्रत्यावेदन दिनांक 11.01.2023 में अप्रयोज्य बोरवेल्स के सम्बन्ध में जीयोटेक्नीकल इनवेस्टीगेशन के साक्ष्य के रूप में मेसर्स विश्वेसरय्या कन्सल्टेन्सी, रोहिणी, दिल्ली द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गयी है, उक्त की जाँच हेतु संयुक्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि गौर ग्रुप के 03 प्रोजेक्ट्स (गौर सिटी-1, गौर सिटी-2



एवं गौर सौन्दर्यम) द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 11.01.2023 मे प्रेषित जीयोटेक्नीकल इनवेस्टीगेशन रिपोर्ट को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जाँच कर लिया जाये।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

10. संयुक्त समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में स्थापित परियोजनाओं से जनित घरेलू सीवेज हेतु सीवर लाइन एवं शुद्धिकरण हेतु स्थापित किये जाने वाले कॉमन एस0टी0पी0 का निर्माण ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यथाशीघ्र पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण)

11. गौर सिटी-1, गौर सिटी-2 एवं गौर सौन्दर्यम में स्थापित बोरवेल्स के सम्बन्ध में महोदय द्वारा उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग को निर्देशित किया गया कि भविष्य में गौर ग्रुप की परियोजनाओं में स्थापित समस्त बोरवेल्स का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाये।

(कार्यवाही- मेसर्स गौर ग्रुप की परियोजनाओं/ उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग)


12. अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त वर्णित परियोजनाओं के प्रत्यावेदनो में वर्णित तथ्यो पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं प्रत्यावेदनो के निस्तारण करने हेतु परियोजनाओं के प्रत्यावेदनो को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को एक सप्ताह के अन्दर अग्रसारित कर दिया जाये तथा सभी विभागो द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर नियमानुसार अनुपालन किया जाये।

(कार्यवाही- उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग/ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अन्त मे सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया गया।


(राधेश्वर)

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ग्रेटर नोएडा।


(तेज प्रताप मिश्र)
मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।
17/11/2023


कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 1405/MGF54/22

दिनांक 18/11/23

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित विभाग/अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।


मुख्य विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।
17/11/2023



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 248

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1124/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स इको विलेज-3 (प्रमोटर- मेसर्स सुपरटेक लि0),
प्लॉट नं0- जी0एच0-03, सेक्टर-16बी,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 1038/एनजीटी-54/2022 दिनांक 17.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 15 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Handwritten signature

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature
05/12/22
क्षेत्रीय अधिकारी

Handwritten signature



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1123/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स अजनारा ली गार्डन,
प्लॉट नं0- जी0एच0-02, सेक्टर-16बी,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 1037/एनजीटी-54/2022 दिनांक 17.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

05/12/22
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1122/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स एस एसपायर (प्रमोटर-मेसर्स एस इंफ्रासिटी डेबलपर्स प्रा0लि0)
प्लॉट नं0-जीएच-05बी, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

जि.डी.ए.

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 773/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

05/12/22
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1121/NG&T-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स एस सिटी (प्रमोटर-मेसर्स एस इंफासिटी डेबलपर्स प्रा0लि0)
प्लॉट नं0- जीएच-01, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

uolr

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 772/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 5 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

[Signature]

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

[Signature]
05/12/22
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1120/N&T-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स गौर सिटी-1 (प्रमोटर्स-मेसर्स गौरसंस प्रमोटर्स प्रा0लि0),
प्लॉट नं0- जी0एच0-01, सेक्टर-4,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 771/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 18 बोरवेल स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 253

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1119/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स गौर सिटी-2 (प्रमोटर्स-मेसर्स गौरसंस प्रमोटर्स प्रा0लि0),
सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट,
गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 770/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 25 बोरवेल स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Handwritten signature
(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 255

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1117/NG&T-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स पंचशील हाईनेस, (प्रमोटर-मेसर्स पंचशील बिल्डटेक प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-08ए, सेक्टर-01,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

u/abz

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 784/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 20 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 256

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1116/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स राजहंस रेजिडेन्सी, (प्रमोटर-मेसर्स राजहंस इंफ्राटेक प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-06बी, सेक्टर-01,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

idgr

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 785/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्म जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्म जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

05/12/22
क्षेत्रीय अधिकारी

or
22



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 257

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1115/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स ला रेजिडेन्सिया, (प्रमोटर-मेसर्स ला रेजिडेन्सिया डेवलेपर्स प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-06ए, सेक्टर-टेकजोन-4,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

initial

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 787/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 18 एचपी व 1.5 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

[Signature]

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

[Signature]
क्षेत्रीय अधिकारी

[Signature]



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 258

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1114/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स हैप्पी ट्रेल, (प्रमोटर-मेसर्स एटीएस होमक्राफ्ट/मेसर्स श्रीधारा इंफ्राटेक प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-02ए, सेक्टर-10,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 788/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 5 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

259

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1113/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स गैलेक्सी वेजा, (प्रमोटर-मेसर्स गैलेक्सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-08सी, सेक्टर-टेकजोन-4,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य
बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के
अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 786/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ
ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में
योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश
दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा
निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति
प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल
विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु
आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय
हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में
दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells
and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such
water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data
on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project
cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation
with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today,
failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing
of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping
the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of
Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh
Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर
इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित
समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय


(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।


क्षेत्रीय अधिकारी

2



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 260

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1112/NGT-54/22

दिनांक :

05/12/22

सेवा में,

मेसर्स सिक्का काम्या ग्रीन्स, (प्रमोटर-मेसर्स सिक्का इंफाटेक प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-02बी, सेक्टर-10,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 847/एनजीटी-54/2022 दिनांक 28.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 2 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय


(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।


क्षेत्रीय अधिकारी

or
R



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 261

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1111 / NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स लक्की पॉम वैली,
खसरा नं०-784, ग्राम-बिसरख, सेक्टर-1, स्टेलर जीवन के पीछे,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० 781/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 17 बोरवेल (क्षमता 1.5 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Handwritten signature

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature
क्षेत्रीय अधिकारी

au

Handwritten signature



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1110/NGT-54/22

दिनांक :

05/12/22

सेवा में,

मेसर्स दिव्यांस पलोरा (प्रमोटर-मेसर्स अपैक्स डेवलपर्स प्रा०लि०),
प्लॉट नं०-जीएच-11, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

in file

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० 780/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 5 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

all



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 263

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1109/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स अपैक्स गोल्फ अवेन्यू (प्रमोटर-मेसर्स अपैक्स डेवलपर्स प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-11, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 779/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 3 एचपी व 5 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

05/12/22
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 264

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1108/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स कैपिटल अथेना (प्रमोटर-मेसर्स कैपिटल इन्फ्राहोम्स प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-12ए-2, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

in file

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 778/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 3 एचपी व 1.5 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

05/12/22
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 265

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कामप्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1107/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स एटीएस डेस्टीनायर (प्रमोटर-मेसर्स एटीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0)
प्लॉट नं0-जीएच-14ए, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

in/32

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 777/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

[Signature]
05/12/22
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

[Signature]
क्षेत्रीय अधिकारी

[Signature]



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 266

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1106/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स महागुन मंत्रा-1 (प्रमोटर-मेसर्स महागुन इण्डिया प्रा0लि0)
प्लॉट नं0-जीएच-01/बी, सेक्टर-10,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

in/ise

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 776/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 267

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1105/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स महागुन माईबुड-फेज-1 व 2 (प्रमोटर-मेसर्स महागुन इण्डिया प्रा0लि0)
प्लॉट नं0-जीएच-04, सेक्टर-16सी,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

in/22

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 775/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 05 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी के तीन एवं 7.5 एचपी के दो) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

[Signature]
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

[Signature]
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 268

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कामप्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1104 / NG&T-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स कोको काउन्टी (प्रमोटर-मेसर्स शिरजा रियल स्टेट सल्यूशन प्रा0लि0)
प्लॉट नं0-जीएच-03सी, सेक्टर-10,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 774/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Handwritten signature

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature
क्षेत्रीय अधिकारी

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1103/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स नियो टाउन, (प्रमोटर-मेसर्स पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-03, सेक्टर-टेकजोन-4,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 846/एनजीटी-54/2022 दिनांक 28.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects. Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

05/12/22
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 270

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1102/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,
मेसर्स जे0एम0 पलोरेन्स,
प्लॉट नं0-डी0वी0-जीएच-09सी, सेक्टर-टेकजोन-4,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 848/एनजीटी-54/2022 दिनांक 28.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Handwritten signature
(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1101/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स एटीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (एटीएस रेपसोडी)
प्लॉट नं०- जीएच-12/1, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

in 11-22

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको निरीक्षण के समय निर्देशित किया था, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

all
R



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1100/N&T-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स महागुन मंत्रा-2,
प्लॉट नं०- जीएच-01/ए, सेक्टर-10,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

दिनांक

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 5 एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको निरीक्षण के समय निर्देशित किया था, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1099/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स वी0वी0आई0पी0 होम्स,(मेसर्स सॉलिटियर इंफ्राहोम प्रा0लि0)
प्लॉट नं0-जी0सी0-03के/जीएच-03, सेक्टर-16सी,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 856/एनजीटी-54/2022 दिनांक 01.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी व 10 एचपी) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Handwritten signature

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature
क्षेत्रीय अधिकारी

Handwritten initials



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

274

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1098/NGT-54/22

दिनांक : 05/12/22

सेवा में,

मेसर्स गौर सिटी मॉल (प्रमोटर-मेसर्स गौरसंस प्रमोटर्स प्रा0लि0),
गौर सिटी-1, जीएच-1, सेक्टर-4,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 768/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 17.0 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Handwritten signature

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature
क्षेत्रीय अधिकारी

Handwritten initials



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 275

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1200/MGP-54/22-17

दिनांक : 20/12/22

सेवा में,

मेसर्स सिंधुजा ग्रीन्स (प्रमोटर-मेसर्स होम टॉपर प्रा0लि0),
ग्राम-वेदपुरा, सेक्टर-10,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

india

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 03 एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको निरीक्षण के समय निर्देशित किया था, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

ok

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

ok

india



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1200/149-54/22-16

दिनांक : 20/12/22

सेवा में,

मेसर्स एम्स ग्रीन एवेन्यू (प्रमोटर-मेसर्स एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जी0एच0-04, सेक्टर-4,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

in/22

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको निरीक्षण के समय निर्देशित किया था, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

[Signature]

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

[Signature]
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1200/NGT-54/2015

दिनांक : 20/11/22

सेवा में,

मेसर्स मंगलाया ओफेरा (प्रमोटर-मेसर्स मंगलाया बिल्डटेक प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जी0एच0-16एफ, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 1.5 एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको निरीक्षण के समय निर्देशित किया था, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Handwritten signature

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature
20/11/22

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1200/NGT-54/22/14

दिनांक : 20/11/22

सेवा में,

मेसर्स गैलेक्सी ब्लू सफायर (प्रमोटर-जी0एल0डी0 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-सी-03, सेक्टर-4,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको निरीक्षण के समय निर्देशित किया था, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

Handwritten signature

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1200/N47-54/213

दिनांक : 20/11/22
vivek

सेवा में,

मेसर्स गैलेक्सी डायमण्ड प्लाजा (प्रमोटर-एस्टोरायड शैल्टर्स होम्स प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-सी-01ए, सेक्टर-4,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी व 7.5 एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको निरीक्षण के समय निर्देशित किया था, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

vivek



सन्दर्भ संख्या :

12001M47-54/22/2

दिनांक :

20/11/22

सेवा में,

मेसर्स गैलेक्सी रॉयल (प्रमोटर-पृथ्वीलिंग बिल्डवेल प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-03, सेक्टर-16सी, गौर सिटी-2,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

i.i.22

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 5 एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको निरीक्षण के समय निर्देशित किया था, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

संदर्भ संख्या : 200/NGT-54/22/1

दिनांक : 20/12/2022

सेवा में,

मेसर्स एस डिवाईनो (प्रमोटर-स्टारसिटी रियल स्टेट प्रा0लि0),
प्लॉट नं0-जीएच-14ए, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

u/22

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको निरीक्षण के समय निर्देशित किया था, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

[Signature]

(राधेश्याम)

e/c क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

[Signature]
20/12/22

e/c क्षेत्रीय अधिकारी

[Signature]



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1215 / 1467-54/22

दिनांक : 23/12/22

सेवा में,

मेसर्स ऐस एसपायर (Ace Aspire)

प्लॉट नं०- GH-02A, TechZone-4,

ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० 773/एनजीटी-54/2022 दिनांक 26.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 10 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

६२

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

५२



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

1214 / HGT-54/22

दिनांक : 23/11/22

सेवा में,

मेसर्स इको विलेज-3 (Ecovillage-III),
प्लॉट नं०-GH-06, Sector 16B,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० 1038/एनजीटी-54/2022 दिनांक 17.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 02 बोरवेल (क्षमता 15 एचपी प्रत्येक) स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 284

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1557/ NHT-54/2023

दिनांक 09/02/23

सेवा में,

मेसर्स नोवेल वैली (प्रमोटर- मेसर्स ए0के0जे0 रियल इन्फ्रा प्रा0लि0),
खसरा नं0- 288, 290, 299, 302, ग्राम शाहबेरी,
निकट सेक्टर-16बी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 1213/एनजीटी-54/22 दिनांक 23.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना प्रत्येक विला में 0.5 एचपी क्षमता के बोरवेल स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

२

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी

२



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1556 / NUT-54 / 2023

दिनांक : 09/02/23

सेवा में,

मेसर्स अजनारा होम्स
प्लॉट नं०- जी०एच०-०३, सेक्टर-१६बी,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० ३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०५.०७.२०२२ एवं १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० १२१२/एनजीटी-५४/२२ दिनांक २३.१२.२०२२ का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० ३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०५.०७.२०२२ के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना ०१ बोरवेल (क्षमता ७.५ एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० ३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक १५.११.२०२२ को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-१), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1555/NMT-54/2023

दिनांक : 09/02/23

सेवा में,

मेसर्स जे0एन0सी0 द पार्क (प्रमोटर- मेसर्स जी0आर0सी0 कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0),
प्लॉट नं0- जी0एच0-1सी, सेक्टर-16सी,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 1209/एनजीटी-54/22 दिनांक 23.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 1.5 एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

09/02/23

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी



सन्दर्भ संख्या : 1554 / NMT-54 / 2023

दिनांक : 09/02/23

सेवा में,

मेसर्स विहान ग्रीन,
प्लॉट नं०- जी०एच०-15सी, सेक्टर-1,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 एवं 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० 1208/एनजीटी-54/22 दिनांक 23.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना 01 बोरवेल (क्षमता 7.5 एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 15.11.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

09/02/23
क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर 2088

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternojda@uppcb.in, फोन/फैक्स. 0120-232102

सन्दर्भ संख्या : 1553/NWT-54/2023

दिनांक : 09/02/23

सेवा में,

मेसर्स बुलन्द एलीवेट्स,
प्लॉट नं०- जी०एच०-०३ए, सेक्टर-१६सी,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० ३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०५.०७.२०२२ एवं १५.११.२०२२ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० १२१०/एनजीटी-५४/२२ दिनांक २३.१२.२०२२ का संदर्भ ग्रहण करना चाहें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० ३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक ०५.०७.२०२२ के अनुपालन में आपकी परियोजना का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा किया गया था तथा निरीक्षण के समय पाया गया है कि परियोजना में जल आपूर्ति हेतु उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना ०१ बोरवेल (क्षमता ७.५ एचपी) स्थापित किया गया है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० भू-गर्भ जल विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आपको पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है, परन्तु आप द्वारा उक्त निर्देशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।

आपकी परियोजना द्वारा अवैध रूप से भूमिगत जल निष्कर्षण किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० ३९२/२०२२ प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक १५.११.२०२२ को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

“.....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. **In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects.** Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक १५.११.२०२२ की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन निर्धारित समयवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-१), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), गौतमबुद्धनगर।

क्षेत्रीय अधिकारी



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H93173 / C-1 / एन0जी0टी0-158 / पर्या0क्षति0 / 2023

Date: 12/05/2023

सेवा में,

पंजीकृत

सूची संलग्न-38 परियोजना।

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में परियोजना के विरुद्ध Interim/floor level Compensation जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

“....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects. Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate.....”

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में परियोजना को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परियोजना की कुल लागत का 0.5 प्रतिशत Interim/floor level Compensation जमा किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं है एवं न ही आपके द्वारा Interim/floor level Compensation जमा किये जाने की सूचना इस कार्यालय में प्राप्त है।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रेषित विवरण अनुसार परियोजना की कुल लागत सूची में अंकित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में परियोजना की कुल लागत का 0.5 प्रतिशत Interim/floor level Compensation जमा किये जाने हेतु निर्देश पारित हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत सूचीबद्ध 38 परियोजनाओं को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन में कुल लागत का 0.5 प्रतिशत Interim/floor level Compensation जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है की Interim/floor level Compensation को बोर्ड के खाते में 15 दिन के अन्दर जमा कराया जाये।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(विवेक राय)

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश के अनुपालन में परियोजना पर अधिरोपित Interim/floor level Compensation जमा न किये जाने की दशा में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुरूप परियोजना के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिरोपित Interim/floor level Compensation को बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त-1

S. No.	Name and Adress of the Project	Project Cost in Cr. (As per record)	Interim/ floor level Compensation in Cr. (0.5%)
1	Aastha Greens (AASTHA INFRACITY LIMITED) Plot No-03, GH-04 Sector-04, Greater Noida, Uttar	324.27	1.62
2	ACE Aspire (Promoter- M/S Ideal Realtech Pvt Ltd.), GH-02A, TechZone-4, Greater Noida West	277.58	1.38
3	ACE City (IDEAL REALTECH PVT LTD), GH-01, Sector-01, Greater Noida .	783	3.91
4	Ace Divino (STARCITY REAL ESTATES PRIVATE LIMITED) Plot No. GH-14A, Sector-01, Greater Noida	661	3.3
5	Aims Green Avenue (Aims Golf Town Developers Private Limited), Phase-I, Plot No-4, GH-04, Greater Noida (West), Gautam Budh Nagar	326.3	1.63
6	Ajnara Homes (APV Realty Ltd.) Plot No. GH-03, Sector-16B, Greater West, Uttar Pradesh	369.62	1.84
7	Ajnara Le Garden (Ajnara Realtech Limited), GH-02, Sector-16B, Greater Noida West, Uttar Pradesh	203.0016	1.01
8	Apex Golf Avenue (FLORAL REALCON PRIVATE LIMITED), GH-03/SC-1, Adjoining TechZone, Gr.	210.2317	1.05
9	ATS Destinaire (Promoter- M/s Starcity Real Estates Pvt. ltd.), GH-14, Sector-1, Gr. Noida	634.18	3.17
10	ATS Home Craft (Happy Trails), (Shridhara Infratech (P) Ltd), GH-02A, sector-10, Gr. Noida	464	2.32
11	ATS Rhapsody (Promoter- DAR Housing Limited) GH-12/1, Sector-1, Gr. Noida	415.93	2.07
12	Bulland Elevates (BULLAND BUILDTECH PVT LTD.), Plot No GH-3A, Sector-16C, Greater Noida,	284.55	1.42
13	Capital Athena (CAPITAL INFRATECHOMES PRIVATE LIMITED), GH-12A-2, Sector-01, Gr.	350	1.75
14	Coco county (Promoter- M/s SHIRJA REAL ESTATE SOLUTIONS PVT LTD), GH-03C, sector-	262.95	1.31
15	Divyansh Flora (Promoter M/s Divyansh Infra hight (P) Ltd.), Plot No.-03H/GH-01, sector-16C, Gaur City-	128	0.64
16	Ecovillage III (SUPERTECH LIMITED), Plot No. GH-06, Sector 16B, Greater Noida, Uttar Pradesh	479.4973	2.39
17	Galaxy Blue Sapphire (GLD INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED)Plot No. C-03, Sector 4, Greater Noida, Gautam Budh nagar	726.5	3.63
18	Galaxy Diamond Plaza (ASTEROID SHELTERS HOMES PVT LTD) Plot no. C-01 A, Sector 4, Greater Noida, ,GAUTAM BUDH NAGAR	277.66	1.38

19	Galaxy Royale (PRITHVEELINK BUILDWELL PRIVATE LIMITED), Plot No. GH-03, Sector-16C, Gaur City 2, Greater Noida, Uttar Pradesh	190.42	0.952
20	Galaxy Vega, (Promoter- M/s Panchtatva Promoter (P) Ltd.), GH-08C, Sector-Techzone-IV, Gr. Noida	63.304	0.316
21	Gaur City Mall, Plot No.C-1B/ GH-01, sector-4, Gr. Noida	652	3.26
22	Gaur City-1, GH-01, Sector-4, Gr. Noida	800	4
23	Gaur City-2, GH-01, sector-16C, Gr. Noida	1320	6.6
24	Gaur Saundaryam, Plot No- GH-05C, Techzone-IV, Gr. Noida	581	2.9
25	Gulshan Bellina (GULSHAN HOMZ PRIVATE LIMITED), Plot No GH-02/A, Sector 16, Vaidpura, Greater Noida, Uttar Pradesh	465.37	2.32
26	JM Florence (J.M. HOUSING LTD), Plot No. DV-GH-09C, Sector-Techzone-4, Gr. Noida west.	449.05	2.24
27	JNC The Park (JNC Construction Pvt. Ltd.), GH-1C, Sector-16 C, Greater Noida, District- Gautam Buddha	266.9475	1.33
28	La Residentia (Promoter- M/s La Residentia Developer Pvt. Ltd), GH-06A,sector-Techzone-4, Gr.	542.83	2.71
29	Mahagun Maantra-1, (Promoter- M/s Dhanya Promoters Pvt.), Ltd. GH-01/B, sector-10, Gr. Noida.	177.41	0.887
30	Mahagun Maantra-2 (Hebe Infrastructure Pvt Ltd), GH-01/A, sector-10, Gr. Noida	205.83	1.02
31	Mahagun mywood (Phase-1, Phase-2, Phase-3) M/s Mahagun (India) Pvt. Ltd., GH-04, sector-16, Gr.	463	2.31
32	Mangalya Ophira (MANGALYA BUILDTECH PRIVATE LIMITED), Plot no GH-16F, Sector-1, Greater Noida West, Gautam Budh Nagar	67.75	0.338
33	Neo Town (M/s Patel Advance JV.) Plot No.GH-03, Sector-Techzone-4, Gr. Noida west.	670.41	3.35
34	Panchsheel Hynish (Panchsheel Buildtech Pvt. Ltd), GH-08A, Sector-1, Gr. Noida west.	405.24	2.02
35	Rajhans Residency, (Rajhans Infrateh (p) ltd.), GH-06B, Sector-01, Gr. Noida west.	127.88	0.639
36	Sikka Kammya Green (Promoter- M/s Sikka Infratech (p) ltd.), GH-02B, sector-10, Gr. Noida	230.28	1.15
37	Vihaan Green (Vihaan Developers Pvt. Ltd.), Plot No-GH-15C, Sector 1, Greater Noida, Uttar Pradesh	117	0.585
38	VVIP Home /Meridian (Promoter- Solitaire Infra home Pvt Ltd), GC-03K/ GH-03, Sector-16C, Greater	370	1.85



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

293

संदर्भ सं०

Ref H88622 /C-1/ NPT-158 /2023

दिनांक

Date - 7-2-23

सेवा में,

महत्वपूर्ण/मा० एनजीटी प्रकरण

1. जिलाधिकारी
गौतमबुद्ध नगर।
2. निदेशक
केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र,
भूजल भवन, सेक्टर-बी, सीतापुर रोड
योजना, अलीगंज लखनऊ
(दूरभाष-9452985988) (ई-मेल rdnr-
cgwa@nic.in)

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या- 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या- 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मुख्यतः निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

- बिना अनुमति के संचालित बोरवेल जिनके द्वारा अवैध रूप से भूजल दोहन किया जा रहा है की सीलिंग की कार्यवाही की जानी है।
- संबंधित इकाइयों द्वारा Interim compensation प्रोजेक्ट लागत की 0.5 प्रतिशत के बराबर होगा, संबंधित जिलाधिकारी/उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एक माह में जमा किया जाना है। अनुपालन न करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही जिसके अन्तर्गत परियोजनाओं के खिलाफ चोरी के मामले दर्ज करना तथा बिना भूजल दोहन की अनुमति के चल रही परियोजनाओं को रोकना शामिल है, की जाएगी।
- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी की समिति द्वारा समस्त दोषी परियोजनाओं के विरुद्ध Final compensation की गणना संबंधी कार्यवाही की जानी है।
- राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्रदान करते समय डिजिटल वाटर मीटर की स्थापना करते हुए सेन्ट्रल सर्वर से उसे जोड़ने की प्रमुख शर्त अधिरोपित की जाएगी, जिसका अनुपालन प्रतिष्ठानों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- परियोजना द्वारा भूजल दोहन की मात्रा के संबंध में एक अप्रेजल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जानी है, जिसमें संबंधित क्षेत्र में निष्कर्षण हेतु उपलब्ध भूगर्भ जल की मात्रा एवं उसके पुनः रिचार्ज हेतु अपनाये जाने वाले उपाय यथा: रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट एवं ट्रीटेड सीवेज के पुनः उपयोग आदि सम्मिलित हो, को बोर्ड की समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- संबंधित इकाइयों द्वारा पर्यावरण की भरपाई के उपाय भी करना है जैसे भूगर्भ जल की मात्रा में वृद्धि और वनीकरण द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा और अन्य उपाय आदि। स्थानीय निकायों से भी पानी की आपूर्ति वाले प्रतिष्ठानों द्वारा पृथक-पृथक रूप से डिजिटल मीटर होने चाहिए दोनों स्रोतों पर।

टी.सी. - 12 वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gorti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

-2-

- गैर-संपर्क उद्देश्यों के लिए पीने योग्य पानी के उपयोग को विनियमित किया जाना है।
 - जिन प्रतिष्ठानों द्वारा राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति 01 माह के अन्दर प्राप्त नहीं जाएगी, उनके विरुद्ध जल/वायु अधिनियम के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही की जाएगी।
- उपरोक्त के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अनुपालन की अद्यावधिक आख्या राज्य बोर्ड को पाक्षिक रूप से प्रेषित कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। ज्ञातव्य है कि 30.04.2023 तक की अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दिनांक 15.05.2023 तक राज्य बोर्ड के माध्यम से दाखिल की जानी है। उक्त के अतिरिक्त ओ.ए. सं. 438/2018 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2022 वर्तमान संदर्भ में लागू होगा।
- संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



१ (अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव



प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. निदेशक, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, 9वां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
(upgwd.in@gmail.com)
3. मुख्य अभियंता/विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0, तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. श्री जगदम्बा प्रसाद, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, भूजल भवन, सेक्टर-बी, सीतापुर रोड योजना, अलीगंज लखनऊ (ई-मेल rdnr-cgwa@nic.in)।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ कि संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराये।
6. विधि अधिकारी, द्वितीय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



१ सदस्य सचिव





क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 2015

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स: 0120-232102

सन्दर्भ संख्या :

SP 1167-54/23

दिनांक : 18/4/23

सेवा में,

हाइड्रोलॉजिस्ट/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० भूगर्भ जल विभाग,
गौतमबुद्धनगर।

ANNEXURE- 5

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022) में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ के ई-मेल दिनांक 18.04.2023 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022) में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन हेतु प्रश्नगत परियोजनाओं में निम्न बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है:-

1. Period of EC from which date of which date (nos of days).
2. Ground Water in per day consumption in cubic meter.
3. Total cost of project areas.
4. Name of block area etc.

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Prasoon Pant & Anr vs. Union of India & Ors (OA No. 392/2022) में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन हेतु प्रश्नगत परियोजनाओं के सम्बन्ध में उक्त सूचनाएं केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे दोषी परियोजनाओं के विरुद्ध अग्रिम कार्यावाही की जा सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय


18/4/23
(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (हाउसिंग), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की बिन्दु संख्या-3 पर वर्णित संलग्न सूची में अंकित परियोजनाओं की लागत से सम्बन्धित सूचना को संकलित कर प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

Name and Address of the Project

1	Aastha Greens Plot No-03, GH-04 Sector-04, Greater Noida, Uttar Pradesh
2	ACE Aspire (Promoter- Ideal Realtech Pvt Ltd.), GH-02A, TechZone-4, Greater Noida West
3	ACE City, GH-01, Sector-01, Greater Noida.
4	Ace Divino Plot No. GH-14A, Sector-01, Greater Noida (As per CTO)
5	Aims Green Avenue, Phase-1, Plot No-4, GH-04, Greater Noida (West), Gautam Budh Nagar
6	Ajnara Homes Plot No. GH-03, Sector-16B, Greater West, Uttar Pradesh
7	Ajnara Le Garden GH-02, Sector-16B, Greater Noida West, Uttar Pradesh
8	Apex developers Ltd., Apex Golf Avenue, GH-01, Sector-1, Gr. Noida west
9	ATS Destinaire (Promoter- Starcity Real Estates Pvt. Ltd.), GH-14, Sector-1, Gr. Noida
10	ATS Home Craft (Happy Trails), Shridhara Infratech (P) Ltd., GH-02A, sector-10, Gr. Noida
11	ATS Rhapsody (Promoter- DAR Housing Limited) GH-12/1, Sector-1, Gr. Noida
12	Bulland Elevates, Plot No GH-3A, Sector-16C, Greater Noida, Gautam Budh nagar
13	Capital Athena, Capital Athena, GH-12A-2, Sector-01, Gr. Noida
14	Coco county (Promoter- SHIRJA REAL ESTATE SOLUTIONS PVT LTD), GH-03C, sector-10, Gr. Noida
15	Divyansh Flora (Promoter Divyansh Infra hight (P) Ltd.), Plot No.-03H/GH-01, sector-16C, Gaur City-2, Gr. Noida
16	Ecovillage III Plot No. GH-06, Sector 16B, Greater Noida, Uttar Pradesh
17	Galaxy Blue Sapphire (GLD INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED) Plot No. C-03, Sector 4, Greater Noida, Gautam Budh nagar
18	Galaxy Diamond Plaza (ASTEROID SHELTERS HOMES PVT LTD) Plot no. C-01 A, Sector 4, Greater Noida, GAUTAM BUDH NAGAR
19	Galaxy Royale Plot No. GH-03, Sector-16C, Gaur City 2, Greater Noida, Uttar Pradesh
20	Galaxy Vega, (Promoter- Panchtatva Promoter (P) Ltd.), GH-08C, Sector-Techzone-IV, Gr. Noida west.
21	Gaur City Mall, Plot No.C-1B/ GH-01, sector-4, Gr. Noida
22	Gaur City-1, GH-01, Sector-4, Gr. Noida
23	Gaur City-2, GH-01, sector-16C, Gr. Noida
24	Gaur Saundaryam, Plot No- GH-05C, Techzone-IV, Gr. Noida
25	Gulshan Bellina, Plot No GH-02/A, Sector 16, Vaidpura, Greater Noida, Uttar Pradesh
26	JM Florence (JM Housing Ltd), Plot No. DV-GH-09C, Sector-Techzone-4, Gr. Noida west.
27	JNC The Park, GH-1C, Sector-16 C, Greater Noida, District- Gautam Buddha Nagar
28	La Residentia (Promoter- La Residentia Developer Pvt. Ltd), GH-06A, sector-Techzone-4, Gr. Noida
29	Lucky Plam Velly, Khasra No. 784, Vill-Bisrakh, near Stellar jeevan, Sector-1, Gr. Noida west.
30	Mahagun Maantra-1, (Promoter- Dhanya Promoters Pvt.), Ltd. GH-01/B, sector-10, Gr. Noida.
31	Mahagun Maantra-2, GH-01/A, sector-10, Gr. Noida
32	Mahagun mywood (Phase-1, Phase-2, Phase-3) Mahagun (India) Pvt. Ltd., GH-04, sector-16, Gr. Noida
33	Mangalya Ophira, Plot no GH-16F, Sector-1, Greater Noida West, Gautam Budh Nagar
34	Neo Town (Patel Infrastructure Pvt. Ltd.) Plot No.GH-03, Sector-Techzone-4, Gr. Noida west.
35	Novel Valley (AKG Infra Pvt. Ltd.,) Khasra No. 288, 290, 299, 302, Village Shahberi, Near Sector-16B, Greater Noida
36	Panchsheel Hynish., GH-08A, Sector-1, Gr. Noida west.
37	Rajhans Residency, Rajhans Infrateh (p) ltd., GH-06B, Sector-01, Gr. Noida west.
38	Sikka Kammya Green (Promoter- Sikka Infratech (p) ltd.), GH-02B, sector-10, Gr. Noida
39	Sindhuja Greens Village- Vaidpura, Near Sector-1, Greater Noida, Uttar Pradesh
40	Vihaan Villas (Vihaan Green) Plot No-GH-15C, Sector 1, Greater Noida, Uttar Pradesh
41	VVIP Home /Meridian (Promoter- Solitaire Infra home Pvt Ltd), GC-03K/ GH-03, Sector-16C, Greater Noida, Gautam Budh Nagar

RO Greater Noida <rogreaternoida@uppcb.in>

mail

A. so. 392/2022 Prasoon pant & Anr. Union of India & Ors.

CEO 1 <ceo1@uppcb.in>
 To: RO Greater Noida <rogreaternoida@uppcb.in>

18 April 2023 at 10:50

----- Forwarded message -----

From: JAGDAMBA PRASAD <jprasad-cgwb@gov.in>
 Date: Tue, 18 Apr, 2023, 10:14
 Subject: Fwd: O.A. so. 392/2022 Prasoon pant & Anr. Union of India & Ors.
 To: ceo1 <ceo1@uppcb.in>, <rogreaternoida@uppcb.in>, ms <ms@uppcb.in>
 Cc: RD CGWB NR Lucknow <rdnr-cgwb@nic.in>, Rahul Kumar <kumar.rahul-cgwb@gov.in>

Sir,

In reference to your letter no H91885/C-1/no-158/2023 dated 12.04.23 and earlier mail dated 09.02.2023 regarding assessment of final compensation, no required data have been provided , neither joint inspection report of committee has been sent so far

to nominated member of CGWB Shri Rahul Kumar , AHG, CGWB NR Lucknow. (8409341461, kumar.rahul-cgwb@gov.in)

Again it is requested to kindly send joint inspection report along with required data collected by the joint committee as - **Period of EC from which date to which date (nos of days), Ground Water in per day consumption in cubic meter, total coast of project area , Name of block area etc.** to nominated member Shri Rahul Kumar , AHG, CGWB NR Lucknow. (8409341461, kumar.rahul-cgwb@gov.in). Further a meeting may please be called among the joint committee members in online /off line mode for assessment of final compensation so that confusion and doubts may be cleared in above subject meter.

With Regards
 Jagdamba Prasad
 Sc-D



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा

298

ए-1, प्रथम तल, कोमलेश्वर कॉम्प्लेक्स, गीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स 0120 2321024

सन्दर्भ संख्या : 1760 /MGT-54/22

दिनांक : 13/3/23

सेवा में,

मा0 न्यायालय प्रकरण/समयबद्ध

नोडल अधिकारी/हाइड्रोलॉजिस्ट,
उ0 प्र0 भूगर्भ जल विभाग,
गौतमबुद्धनगर।

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दि0 15.11.2022 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पंत व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें (संलग्नक-1)। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित अपने आदेश में अनधिकृत रूप से भूगर्भ जल का दोहन करने वाली निर्माण परियोजनाओं पर परियोजनाओं की लागत का 0.5 प्रतिशत Interim/floor level Compensation अधिरेपित करने हेतु स्पष्ट आदेश पारित किया गया है। Interim/floor level Compensation जमा नहीं किये जाने की दशा में सम्यन्धित परियोजनाओं के विरुद्ध जल के चोरी का परिवाद दायर कराया जाना है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं-

".....Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects. Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate....."

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में सभी निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा कर लिया गया है। जिन परियोजनाओं में अवैध रूप से भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु बोरवेल स्थापित पाये गये थे, उन सभी परियोजनाओं को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मा0 न्यायालय के आदेश की छायाप्रति प्रेषित कर दिया गया है (संलग्नक-2)।

... प्रकाश पृ0सं0 2



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा 300

ए-1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर

ई-मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन/फैक्स- 0120-4259329

सन्दर्भ संख्या :
सेवा में,

13 / 1467-54/23

दिनांक : 31/4/23

मा0 न्यायालय प्रकरण
अतिमहत्वपूर्ण

हाइड्रोलॉजिस्ट/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग,
गौतमबुद्धनगर।

ANNEXURE- 6

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र दिनांक 17.03.2023 के अनुक्रम में अपने पत्रांक 230/भू0ज0वि0ख0गौ0बु0न0/अधि-19/गौतमबुद्धनगर दिनांक 29.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ज्ञातव्य है कि उ0प्र0 प्रदेश शासन के विधायी अनुभाग-1 के गजट संख्या 1468/79-वि-1-19-1(क)-14-19 दिनांक 07.08.2019 द्वारा उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 के चैप्टर-8 की धारा 39(1) में निम्नानुसार प्राविधानित है-

CHAPTER-VIII

OFFENCES AND PENALTIES

39. (1) If any commercial, industrial, infrastructural and bulk user of groundwater or any drilling agency,-

(a) Contravenes or fails to comply with any of the provisions of this Act or any rule made there under except provisions described under chapter-V; or

(b) obstructs the Appropriate Authorities or any other person authorized by the State Ground Water Management and Regulatory Authority to exercise any of the powers under this Act, shall be punishable with fine which shall not be less than two lakh rupees which may extend up to five lakh rupees or imprisonment which shall not be less than six month and which may extend to one year or with both, in case of first offence.

इसी प्रकार अधिनियम की धारा 41(1) में विधिक कार्यवाही किये जाने को निम्नानुसार प्राविधानित किया गया है-

(1) An offence punishable under sub Clause (i) of clause (b) of Compounding of sub-section (1) of section 39 may be compounded on the application of the accused before or after the institution of the prosecution by such officers as may be notified by the State Government after imposing fifty percent of minimum fine prescribed for the offences as compounding fee along with the minimum prescribed fine :

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उ0प्र0 भू-गर्भ जल विभाग द्वारा अवैध भू-जल दोहन के प्रकरणों में आर्थिक दण्ड के साथ-साथ विधिक कार्यवाही प्राविधानित है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 392/2022 प्रसून पन्त व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.11.2022 में उल्लिखित परियोजनाओं जिनमें अवैध भू-जल दोहन किया गया है अथवा किया जा रहा है, उन परियोजनाओं के विरुद्ध नियमानुसार जल की चोरी हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा परिवाद दायर किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये दिनांक 30.04.2023 तक की कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे की सूचना संकलित कर मा0 अधिकरण के समक्ष दिनांक 15.05.2023 तक प्रेषित की जा सके।

भवदीय

03/4/23
(राधेश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

- प्रतिलिपि: 1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

307
and
invention of
wells, etc.

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoo-Garbh Jal (Prabandhan Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 5, 2019. The Laghu Sichi Evam Bhoo-Garbh Jal Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

**THE UTTAR PRADESH GROUND WATER
(MANAGEMENT AND REGULATION) ACT, 2019**

(U.P. Act no. 13 of 2019)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for protecting, conserving, controlling and regulating ground water to ensure its sustainable management in the State, both quantitatively and qualitatively, especially in stressed rural and urban areas, and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS uncontrolled and rapid extraction of ground water has resulted in alarming situation of declining ground water levels and depletion of ground water reservoirs in many parts of the State, both in rural and urban areas;

AND WHEREAS groundwater, being the single most important source of water for domestic, agricultural and industrial uses, is the backbone of drinking water, food and livelihood security in rural and urban areas;

AND WHEREAS a serious groundwater crisis prevails due to excessive overdraft and groundwater contamination;

AND WHEREAS development of ground water is the need of the State, its management, control and regulation specially in over-exploited and critical areas is also the need of the hour for protection and preservation of this precious resource;

AND WHEREAS it is also expedient to provide for conservation, protection and development of ground water resources for the purpose of proper augmentation/recharge of ground water in stressed areas and to prevent ground water pollution by maintaining or restoring wholesomeness of ground water quality thereof in the State;

AND WHEREAS the equitable and environmentally sound regulation of groundwater can contribute to tackling some of the most important challenges of our times, including climate change;

AND WHEREAS water is unitary in nature, requiring the integration of surface water and groundwater, has integral links to land and vegetation and has an intricate relationship with rainwater (through natural recharge);

AND WHEREAS groundwater in its natural state is a common pool resource and the Supreme Court of India has applied the public trust doctrine to groundwater, in recognition that private property rights in groundwater are inappropriate given the emerging status, conflicts and dynamics of groundwater;

AND WHEREAS the State Government has, after careful examination of all related aspects, decided that it is expedient and necessary in the public interest to manage and regulate the extraction and use of ground water judiciously in any form and also to conserve and protect ground water in the stressed areas of the State and that shall be accorded the highest priority in both planning and management;

AND WHEREAS a new legal framework (with norms, principles, procedures and institutions suitable to address contemporary and imminent challenges) is required to ensure the qualitative and quantitative sustainability of groundwater resources and equity in groundwater use;

AND WHEREAS the State Government has, after careful examination of all related aspects, decided that in the public interest the first right to use of ground water would be for drinking, domestic and cattle

Revival and Rejuvenation of rivers, ponds, wells, etc.

34. The Appropriate Authorities shall work for revival and rejuvenation of rivers, ponds, wells, etc. in every village. Appropriate Authorities shall develop and execute efficient plans to conserve such rivers, ponds, wells, etc.

CHAPTER-VII

IMPACT ASSESSMENT AND TRANSPARENCY

Impact Assessment

35. (1) It shall be the duty of the Appropriate Authorities to undertake impact assessment of both social and environment aspects of such activities to be implemented in the area of their jurisdiction in accordance to the provisions of this Act.

(2) The process of impact assessment shall include short-term and cumulative impact assessment, may be in the following fields and specifically:-

- (a) Impact on right to water for life;
- (b) Impact on drinking water sources;
- (c) Impact on quality and quantity of groundwater;
- (d) Impact on agricultural production;
- (e) Impact on the ecosystem including rivers and water bodies;
- (f) Impact on land use.

Transparency Systems

36. (1) It shall be the duty of the Appropriate Authorities in the area of their jurisdiction to create an effective and citizen-friendly transparency.

(2) The minimum content, periodicity, and other details of the information to be put out proactively.

(3) All requests for information within a district shall be fulfilled within reasonable period.

Duties of proactive disclosure

37. (1) The Appropriate Authorities with respect to the area of their jurisdiction shall proactively disclose information;

(2) It shall be the duty of the appropriate body to disseminate the records in such a manner that any person can understand the information easily. This obligation shall also include the dissemination of information in a consolidated and summarized form.

Information to be kept in Public Domain

38. Information on the Impact Assessment of such activities taken up under this Act in section 35 shall be placed on internet for access by public.

CHAPTER-VIII

OFFENCES AND PENALTIES

Offences and penalties

39. (1) If any commercial, industrial, infrastructural and bulk user of groundwater or any drilling agency,-

(a) contravenes or fails to comply with any of the provisions of this Act or any rule made there under except provisions described under chapter-V, or

(b) obstructs the Appropriate Authorities or any other person authorized by the State Ground Water Management and Regulatory Authority to exercise any of the powers under this Act, shall be punishable with fine which shall not be less than two lakh rupees which may extend up to five lakh rupees or imprisonment which shall not be less than six month and which may extend to one year or with both, in case of first offence.

(c) repeats the offence after conviction thereof under sub-clause (b), such user shall be deemed to be guilty of second offence and shall be punished with fine which shall be double the amount of fine awarded to him or her, in addition to imprisonment awarded to him or her under the said sub-clause. Besides, the authorisation/no-objection certificate granted to him under this Act shall be

(2) Any commercial, industrial, infrastructural and bulk user of ground water who contravenes any of the provisions provided under sub-section (2) of section 26, section 27, section 28 and section 29, shall be liable for punishment, -

(a) with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to three years with fine which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees, in case of first offence;

(b) with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years with fine which shall not be less than ten lakh rupees but which may extend to twenty lakh rupees, if the offence is committed by a person who has previously been convicted for the offence referred to in clause (a).

(3) Any supplier of water (other than Government drinking water supply schemes) who supplies or causes to be supplied groundwater which fails to meet the quality standard prescribed under any law for the time being in force shall be punished with fine which shall not be less than two lakh rupees and which may extend to five lakh rupees.

(4) Whoever being an owner of a building liable for installation of a system for harvesting rainwater to recharge groundwater as per the sanctioned drawing, design and guidelines issued by any of the Development Authority or any other authority having power to sanction drawing, fails to do so, shall be punished in such manner and with such punishment as may be prescribed.

40. (1) Whenever an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time of the commission of offence was in charge of, or was responsible to the company for the conduct of the business of the company, shall be deemed to be guilty of the offence;

Offences
by Companies

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence;

EXPLANATION : For the purpose of this section-

(1) "Company" means anybody corporate and includes a firm or other association or individuals; and

(2) "Director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

41. (1) An offence punishable under sub clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 39 may be compounded on the application of the accused before or after the institution of the prosecution by such officers as may be notified by the State Government after imposing fifty per cent of minimum fine prescribed for the offence as compounding fee along with the minimum prescribed fine :

Compounding of
offences

Provided that the remedy for compounding shall be available for the first offence only.

(2) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the power to compound an offence subject to the direction, control and supervision of the State Government.

(3) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and in such manner as may be prescribed.

(4) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

Interim report in compliance to direction issued by Hon'ble NGT on dated 15.11.2022 in matter of OA No. 392/2022, Prasoon Pant & Anr. Vs. Union of India & Ors.

In compliance to the order passed on dated 05.07.2022 by Hon'ble Tribunal's, The Joint Committee constituted by District Magistrate, Gautam Buddh Nagar visited 33 group housing projects out of 63 and action taken report has been filed on dated 07.10.2022 to the Hon'ble Tribunal.

Further, The main contents about rest projects of Hon'ble NGT order dated 15.11.2022 in matter of OA No. 392/2022, Prasoon Pant & Anr. Vs. Union of India & Ors. is as following: -

"...The joint Committee may continue the work of inspection of the remaining projects and adopt the same course of action as in the present matter and cover the action taken in the next report."

In compliance of above order, rest 30 projects have been inspected by the Joint Committee. Summary of these projects are presented below:-

Sr. No.	Name and Address of Project	Date of Inspection	Constructed /Under Construction	Bore well Installed/ Not Installed	Main observations found during Visit
1	Ecovillage-II, Plot No. GH-01, Sector -16B, Greater Noida, Uttar Pradesh	16.11.2022	Completed	Not Installed	Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption.
2	Ecovillage III, Plot No. GH-06, Sector 16B, Greater Noida, Uttar Pradesh	16.11.2022	Under Construction	02 Nos. (15 HP+15 HP) Installed	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP. c. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
3.	Ajnara Le Garden, GH-02, Sector-16B, Greater Noida West, Uttar Pradesh	16.11.2022	Under Construction	02 Nos. (7.5 HP+7.5 HP)	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP. c. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
4.	ATS Kabana High (DAR Infra Ventures Pvt. Ltd.), Plot No-C-01, SECTOR -04, Haibatpur, Greater Noida, Uttar Pradesh	15.12.2022	Under Construction	Not Installed	Project has maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP

Handwritten signatures and initials.

5.	ATS Homekraft Nobility, Plot No. 1/GH-04, Sector 4, Greater Noida, Uttar Pradesh	15.12.2022	Under Construction	Not Installed	Project has maintained record regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP.
6.	Galaxy Plaza, CS-04/GH-01, Sector-4, Greater Noida West, Gautam Budh nagar	15.12.2022	Completed	Not Installed	Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption.
7.	Galaxy Diamond Plaza (ASTEROID SHELTERS HOMES PVT LTD), Plot no. C-01 A, Sector 4, Greater Noida, U.P, GAUTAM BUDH NAGAR	15.12.2022	Completed	02 Nos. (10 HP+7.5 HP)	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
8.	Galaxy Shoppe, Plot No-GC-3/GH-03, Sector 16C, Gaucity-2, Greater Noida, Uttar Pradesh	15.12.2022	Completed	Not Installed	Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption.
9.	Galaxy Blue Sapphire (GLD INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED), Plot No. C-03, Sector 4, Greater Noida, Gautam Budh nagar	15.12.2022	Completed	01 Nos. (10 HP)	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
10.	Aastha Greens, Plot No-03, GH-04 Sector-04, Greater Noida, Uttar Pradesh	16.12.2022	Completed	01 Nos. (5 HP)	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
11.	Gulshan Bellina, Plot No GH-02/A, Sector 16, Vaidpura, Greater Noida, Uttar Pradesh	16.12.2022	Completed	01 Nos. (7.5 HP) NOC issued	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Ground water abstraction is being done by project proponent with obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and record is being maintained.
12.	North Avenue-II, Plot No-GC-3/GH-03, Sector 16C, Gaucity-2, Greater Noida, Uttar Pradesh	16.12.2022	Completed	Not Installed	Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption.
13.	Ace Divino, Plot No. GH-14A, Sector-01, Greater Noida (As per CTO)	17.12.2022	Completed	01 Nos. (10 HP)	Ground water abstraction is being done by project proponent with obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and record is being maintained.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

14.	Galaxy Royale , Plot No. GH-03, Sector-16C, Gaur City 2, Greater Noida, Uttar Pradesh	17.12.2022	Completed	01 Nos. (5 HP)	Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption.
15.	Mangalya Ophira, Plot no GH-16F, Sector-1, Greater Noida West, Gautam Budh Nagar	17.12.2022	Under Construction	01 Nos. (1.5 HP)	a. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP. b. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
16	Aims Green Avenue Phase-1, Plot No-4, GH-04, Greater Noida (West), Gautam Budh Nagar	17.12.2022	Completed	01 Nos. (10 HP)	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
17	Amastra Homes (Nandi Infratech Pvt Ltd). GH 02C Sector 10, Greater Noida	17.12.2022	Completed	Not Installed	Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption.
18	Sports Village, Plot No. SC -02, KP- 5 of Sector 27, Greater Noida, Uttar Prades	19.12.2022	Under Construction	Not Installed	Work closed since last 5 years.
19	Ajnara Sports City Plot No. SC -02, KP- 5 of Sector 27, Greater Noida, Uttar Pradesh	19.12.2022	Under Construction	Not Installed	Work closed since last 5 years.
20	Sindhuj Greens, Village- Vaidpura, Near Sector-1, Greater Noida, Uttar Pradesh	19.12.2022	Under Construction	01 Nos. (3 HP)	a. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP. b. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
21	Samridhi Grand Avenue, Plot No-GH09D, Sector- TechZone - IV, Greater Noida West, Gautam Budh nagar	19.12.2022	Completed	Not Installed	Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption.
22	Ratan Pearls, Plot No. GH -01, Sector-16, Greater Noida, Gautam Budh nagar	19.12.2022	Completed	Not Installed	Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption.
23	AT&S Dolce Phase 2 (Domus Greens Pvt. Ltd.), Plot No. GH-12A, Sector Zeta- I, Greater Noida, Uttar Pradesh	22.12.2022	Under Construction	Not Installed	Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP.

Handwritten signatures and initials:
 Aka
 M
 J

24.	Galaxy North Avenue, Plot No-GC-3/GH-01, Sector 4, Greater Noida, Uttar Pradesh	22.12.2022	Completed	Not installed	Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption
25.	Bulland Elevates, Plot No GH-3A, Sector-16C, Greater Noida, Gautam Budh nagar	22.12.2022	Under Construction	01 Nos (7.5 HP)	a. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP. b. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
26.	Ajnara Homes , Plot No. GH-03, Sector-16B, Greater West, Uttar Pradesh	22.12.2022	Under Construction	01 Nos (7.5 HP)	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP. c. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
27.	Vihaan Villas (Vihaan Green), Plot No-GH-15C, Sector 1, Greater Noida, Uttar Pradesh	22.12.2022	Under Construction	01 Nos (7.5 HP)	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP. c. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
28.	Novel Valley (AKJ Real Infra Pvt. Ltd.), Khasra No. 288, 290, 299, 302, Village- Shahberi, Near Sector-16B, Greater Noida	22.12.2022	Completed	0.5 HP in each villa	Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.
29.	JNC The Park, GH-1C, Sector-16 C, Greater Noida, District- Gautam Buddha Nagar	22.12.2022	Under Construction	01 Nos (1.5 HP)	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP. c. Ground water abstraction is being done by project proponent without obtaining statutory permission from U.P. Ground Water Department and no record is being maintained.

Ar. R. G.

30.	Emenox La Solara , GH 04 Sector 16, Greater Noida, Gautam Budh nagar	22.12.2022	Under Construction	Not Installed	a. Project has not installed flow meter on water source provided by GNIDA and during inspection no record is being maintained for water consumption. b. Project has not maintained records regarding water consumption in construction i.e. water tanker procured from STP.
-----	-------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Recommendation of the Joint Committee:

Hon'ble NGT on dated 15.11.2022 in this matter has passed following order: -

".....11. Following the above order, we issue directions for sealing of all illegally operating borewells and recovery of compensation for illegal extraction of ground water in the past considering the cost of such water with deterrent element and the cost of replenishing ground water level. In absence of clear data on these aspects, interim/floor level compensation can be equal to atleast 0.5% of the project cost of the PPs, apart from remedial action for future. The PPs may deposit compensation with the respective District Magistrates and the State PCB within one month from today, failing which the District Magistrate will be free to take coercive measures including filing of theft cases against the projects extracting ground water without permission and stopping the ongoing projects. Final compensation may be assessed by the joint Committee comprising of Regional Director, CGWB, Northern Region/or his Representative, representative of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate. "


In view of above, The Joint Committee is in the view that action of sealing illegal operating borewells/Submersible Pump and environmental compensation should be imposed as per Hon'ble NGT order dated 15.11.2022 (0.5% of the project cost of the PPs apart from remedial action for future).

Report is being submitted for kind consideration and necessary action.


(Ranjeet Singh)
Asstt. Environment Engineer,
UP Pollution Control Board,
Greater Noida


(Ankita Rai)
Hydrologist,
UP Ground Water Department,
Gautam Buddha Nagar


(Himanshu Gautam),
Assistant Engineer,
Minor Irrigation,
Gautam Buddha Nagar.


(Chetram Singh)
Sr Manager,
Greater Noida Industrial
Development Authority.


Chief Development Officer,
Gautam Buddha Nagar
31/11/2023